

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 30.07.2024

गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 घनश्याम उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 390/2024 धारा 3(1) व 2(ख) की उपधारा (XI)(XVII) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सदाउ उर्फ सदानन्द पुत्र किशुनचन्द्र उर्फ किशनचन्द्र उर्फ ढाढ़ी निवासी ग्राम हरदी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सदाउ उर्फ सदानन्द पुत्र किशुनचन्द्र उर्फ किशनचन्द्र उर्फ ढाढ़ी निवासी ग्राम हरदी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 390/2024 धारा 3(1) व 2(ख) की उपधारा (XI)(XVII) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0156/23 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 घनश्याम उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 मृत्युंजय कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. का0 विश्वनाथ थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
5. का0 नवीन शुक्ला थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
6. का0 आशुतोष कुमार पाण्डेय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर